आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
06.04.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। बहस के दौरान प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा करवाया गया समर्पण भूमि खसरा नम्बर 753/27 का अंकन खसरा नम्बर 723/205 के स्थान पर अंकन किया जाना था। राजस्व नक्शा में खातेदारी में दर्ज रास्ता मौके के अनुसार नहीं होने के कारण खसरा नम्बर 723/27 नक्शे में विपरीत स्थान पर अंकन हो गया जबकि मौके पर डामर सड़क खसरा नम्बर 723/205 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे हैं। अतः भूमि खसरा नम्बर 723/205 के स्थान पर भूमि खसरा नम्बर 753/27 तथा खसरा नम्बर 753/27 के स्थान पर खसरा नम्बर 723/205 का सही अंकन राजस्व नक्शे में किया जावे। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम दीपपुरा का खसरा नम्बर 753/27 राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होने चाहिए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे तथा इसको रजकीय भूमि से कब्जा हटाने बाबत आदेश प्रदान करें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया। ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का ककराना के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2075–2078 में भूमि खसरा नम्बर 753/27 राजकीय खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं। राजकीय भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता हैं। आदेश प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। 6/4/22 उपखण्ड अधिकारी (रामसिंह राजावत) उदयपुरवाटी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.02.13 12:35:53 IST
Reason: SelfAttested